



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 फाल्गुन 1935 (श0)
(सं0 पटना 235) पटना, सोमवार, 3 मार्च 2014

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं
28 फरवरी 2014

सं0 4/बुनि0स्वा0-03-09/2013/194(4)—भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग में नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।—

अध्याय-1 : प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।** — (1) यह नियमावली “बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली, 2014” कही जा सकेगी।
 - इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - यह तुरत प्रवृत्त होगी।
- परिभाषाएँ।** — जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :—
 - ‘सरकार’ से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
 - ‘विभाग’ से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;
 - ‘आयोग’ से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
 - ‘नियुक्ति प्राधिकार’ से अभिप्रेत है संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी;
 - ‘संवर्ग’ से अभिप्रेत है बिहार बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग; तथा
 - ‘परिशिष्ट’ से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट।
- संवर्ग का गठन।** —बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का संवर्ग जिला स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाय।
- संवर्ग का पदसोपान।** —इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ अर्थात् पदसोपान परिशिष्ट-1 के अनुसार होंगे।

अध्याय-2 : भर्ती

5. **भर्ती।** – इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के पद पर सीधी भर्ती से, आयोग की अनुशंसा के आधार पर, होगी।

6. **अर्हताएँ।** –(1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडियेट/10+2 भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी विषयों में उत्तीर्ण होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा।

(2) बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु-सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु-सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जाय। संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के अवधारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

7. **भर्ती की प्रक्रिया।** – (1) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेंस कराकर, आरक्षण कोटिवार अध्यायचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अध्यायचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा और पैरामेडिकल संवर्गों के लिए अलग संयुक्त लिखित प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा एवं तत्पश्चात साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

(3) पैरा-मेडिकल संवर्गों के लिए संयुक्त प्रारम्भिक परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और एतदर्थ पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया आयोग द्वारा निश्चित की जायगी। यह परीक्षा छँटाई (स्क्रीनिंग) के प्रयोजनार्थ होगी। इसके आधार पर, अध्यायचित रिक्तियों के ढाई-गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा, जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।

(4) साक्षात्कार निम्नलिखित के अनुसार 100 (एक सौ) पूर्णांक होगा:-

(क)	इंटरमीडियेट/10+2 में प्राप्तांक के लिए-	25 अंक
(ख)	उच्चतर शिक्षा (बी0एससी0/एम0एससी0) के लिए-	10 अंक
(ग)	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए-	25 अंक
(घ)	बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव के लिए (प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)-	25 अंक
(ङ)	साक्षात्कार के लिए-	15 अंक

कुल 100 अंक

टिप्पणी। – इंटरमीडियेट/10+2, एवं बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जानेवाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.25 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $50\% \times 0.25 = 12\frac{1}{2}$ अंक दिये जायेंगे।

(5) साक्षात्कार की प्रक्रिया का अवधारण आयोग द्वारा किया जायेगा।

(6) उप-नियम (4) के आधार पर मेधासूची तैयार करने के पश्चात्, आयोग के द्वारा, नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से, प्रमाणपत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात् अध्यायचित रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी, प्रमाणपत्रों की जाँच के पश्चात् अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन कराया जायेगा।

(7) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

अध्याय 3 : परीक्षा/विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि

8. **परीक्षा अवधि।** –नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परीक्षाधीन रहेंगे। परीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जायेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सेवामुक्त कर सकेगा।

9. **प्रशिक्षण।** –परीक्षा अवधि में बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा, जो विभाग द्वारा अवधारित किया जाय।

10. **विभागीय परीक्षा।** –बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अवधारित किया जायेगा।

11. **सम्पुष्टि।** –परीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सेवा में सम्पुष्टि किया जा सकेगा।

12. **वरीयता।**—बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की आपसी वरीयता आयोग द्वारा तैयार की गयी मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

अध्याय-4 : प्रोन्नति

13. **प्रोन्नति के सोपान।**—(1) सेवा में सम्पुष्ट बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार, परिशिष्ट-1 में उल्लिखित प्रोन्नति के सोपान के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रोन्नति संबंधी और चारित्रि या पी0ए0आर0 संबंधी, आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय, अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

14. **विभागीय प्रोन्नति समिति।**— प्रोन्नतियाँ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर होंगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

अध्याय 5 : प्रकीर्ण

15. **आरक्षण।**—सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा समय-समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

16. परिशिष्ट-1 में उल्लिखित पदसोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगा। यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा परिशिष्ट-1 में उल्लिखित पद-सोपान में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्ट-1 तदनुसार परिवर्तित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा परिवर्तित/संशोधित पद-सोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

17. परिशिष्ट-1 में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

18. **अवशिष्ट मामले।**—इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिताएँ/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

19. **निर्वचन।**—यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **कठिनाई का निराकरण।**—यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण करने की शक्ति होगी।

21. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**— (1) इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय पर निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से निरसित समझे जायेंगे।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी ऐसी नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्यवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्यवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कुछ किया गया था या ऐसी कोई कार्यवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट-1

[नियम- 2(vi), 4, 13, 16, 17 द्रष्टव्य]

बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग का पदसोपान

क्रमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता	
2	प्रथम सोपान	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	
3	द्वितीय सोपान	वरीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता	
4	तृतीय सोपान	मुख्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता	

नोट :-उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

28 फरवरी 2014

सं० 4/बुनि०स्वा०-03-09/2013/195(4) अधिसूचना संख्या 194(4) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा, प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 28th February 2014

No. 4/बुनि०स्वा०-03-09/2013/194(4)—In exercise of powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules to regulate appointment and service conditions in the Basic Health worker cadre under the Health Department.-

Chapter-1 : PRELIMINARY

1. **Short title, extent & commencement.**-(1) These Rules may be called as the "Bihar Basic Health Worker Cadre Rules, 2014".
(2) It will extend to the whole State of Bihar.
(3) It will come into force at once.
2. **Definitions.**- In these Rules, unless otherwise required in the subject or context :-
(i) 'Government' means Bihar State Government;
(ii) 'Department' means Health Department;
(iii) 'Commission' means Bihar Staff Selection Commission;
(iv) 'Appointing Authority' means Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer;
(v) 'Cadre' means Bihar Basic Health worker Cadre; and
(vi) 'Appendix' means appendix appended to these Rules.
3. **Constitution of Cadre.**-The cadre of Basic Health worker shall be at District level. In this cadre, number of posts in each category and total number of posts in the cadre shall be the same as are sanctioned by the Government, from time to time.
4. **Chain of posts of cadre.**- Different categories and chain of posts of this cadre shall be according to Appendix-1.

Chapter-2 : RECRUITMENT

5. **Recruitment.**-Appointment in this cadre shall be by direct recruitment to the basic category (Basic Health Worker) posts, on the basis of recommendation of the Commission.
6. **Qualification.**-(1) For appointment by direct recruitment to the basic category posts, minimum educational qualification shall be pass in Intermediate/10+2 with physics, chemistry, Biology and English. Besides, it will be necessary to the pass in training course from government recognised institution and to have a certificate related thereto.
(2) For direct recruitment in the Basic Health worker Cadre, minimum age limit shall be 21 years and maximum age limit shall be the same as may be determined by the Government reservation categorywise, from time to time. 1st August of the concerned year shall be deemed to be the cut off date for determination of age.
7. **Procedure of recruitment.**- (1) The appointing authority, after calculating vacancy on the basis of position as on 1st April of the year and getting roster cleared, shall send reservation category wise requisition to the Commission latest by 30th April.

(2) In light of the requisition, the Commission shall invite applications after advertising vacancies and shall select candidates on the basis of a separate combined Written Preliminary Competitive Examination for Para-Medical cadres and thereafter interview.

(3) The questions of combined Written Preliminary Examination shall be objective type and syllabus and procedure for this purpose shall be determined by the Commission. This Examination shall be for the purposes of screening. On this basis, the candidates equal to the number of two and half times of the requisitioned vacancies shall be selected, who will be called for interview.

(4) The Interview shall be of full marks 100 (one hundred) according to the following:-

- | | | |
|-----|--|----------|
| (a) | For marks obtained in
Intermediate/10+2 course ----- | 25 marks |
| (b) | For higher degree(B.Sc.(M.Sc) ----- | 10 marks |
| (c) | For obtained marks in certificate Course examination
of Basic Health Worker ----- | 25 marks |
| (d) | For work experience in Government
Hospitals of Bihar State (5 marks for
per year, maximum 25 marks)----- | 25 marks |
| (e) | For Interview----- | 15 marks |

Total 100 marks

Explanation.—The marks to be given to a Candidate for marks obtained in Intermediate/10+2 and Basic Health Worker course Examination shall be determined by multiplying the percentage of total marks obtained in the aforesaid courses examination by multiple of 0.25. For example, if a candidate has obtained 50% marks, he will be given $50\% \times 0.25 = 12\frac{1}{2}$ marks.

(5) Procedure for interview shall be determined by the Commission.

(6) After preparation of merit list, on the basis of sub-rule(4), preliminary scrutiny of the certificates and medical check up shall be conducted by the Commission with the cooperation of Appointing Authority and thereafter reservation categorywise final recommendation in accordance with the requisitioned vacancies shall be sent to the Appointing Authority. At the level of Appointing Authority also, verification of antecedents of recommended candidates will be caused to be verified after scrutiny of certificates.

(7) After recommendation of the Commission, it will be necessary to comply the instructions issued by the Government, from time to time, related to the procedure of appointment.

Chapter-3 : Probation/Departmental Examination/Confirmation

8. Probation Period.-After appointment the candidates will be on probation. Probation period will be of two years. In case, the service during probation period is not found satisfactory, the probation period will be extended for one year. If the service is not found satisfactory in extended period also, then the appointing authority may terminate the service of such Basic Health Worker.

9. Training.-During probation period the probationer Basic Health Worker shall have to successfully complete such training as may be determined by the Department.

10. Departmental Examination.-The Basic Health Worker shall have to pass the departmental examination conducted by the Department. The syllabus of departmental examination will be determined by the Department.

11. Confirmation.-In the probation period on service being satisfactory, and successful completion of training and passing of departmental examination, a Basic Health Worker may be confirmed in the service.

12. Seniority.-The inter seniority of Basic Health Worker shall be determined according to the merit list prepared finally by the Commission.

Chapter-4 : PROMOTION

13. Chain-posts of Promotion.- (1) Subject to availability of vacancy confirmed Basic Health Worker may be considered to be promoted to the post of chain of posts mentioned in Appendix-1, according to the merit cum seniority.

(2) For promotion, it will be necessary to comply the instructions related to the 'KALAWADHI' issued by the Government, from time to time.

(3) It will be required to comply the instructions issued by the Government, from time to time, related to the promotion, and Character Roll/PAR, allegation/ departmental proceedings/criminal proceedings, etc at the time on consideration of promotion.

14. Departmental Promotion Committee.-Promotions will be on the basis of recommendations of the Departmental Promotion Committee. The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department.

Chapter-5 : MISCELLANEOUS

15. Reservation.- It will be essential to comply the provisions of the Reservation Act of the Government and reservation roster for direct recruitment and promotion, issued by the Government from time to time.

16. The chain of posts mentioned in Appendix-1 shall be effective only after approval of the Government. If, in course of consideration of approval, any modification or amendment is made by the Government in the chain of posts mentioned in Appendix-1, then the Appendix-1 shall be deemed to be modified or amended accordingly and such modified/amended chain of posts shall be deemed to be the part of these Rules.

17. The personnels appointed/promoted and working on the posts of this cadre mentioned in Appendix-1, from before coming into force of these Rules, shall be deemed to be automatically included in this cadre.

18. Residue Matters.-Provisions of relevant Codes/ Rules/ Resolutions/ Instructions shall apply to the subjects for which the provisions have not been made in these Rules.

19. Removal of doubts.- If any doubt arises in respect to interpretation of any provision of these Rules, it shall be referred to the Department and in this respect decision of the Department shall be final.

20. Removal of difficulties.-If any difficulty arises in implementation of provisions of these Rules, the Department shall have powers to remove such difficulty.

21. Repeal & Savings.-(1) The Rules and all resolutions, orders, instructions etc. issued earlier, from time to time, by the Department in respect to this cadre, shall be deemed to be repealed effect from the date of coming into force of these Rules.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken in exercise of powers conferred by aforesaid Rules, resolutions, orders, instructions etc shall be deemed to be done any thing or any action taken under these Rules as if these Rules were in force on the date on which such thing was done or such an action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
SURESH KUMAR SHARMA,
Joint Secretary of Government.

APPENDIX-1

[see rule 2 (vi), 4, 13, 16, 17]

Chain of posts of Basic Health worker cadre

Sl.No	Grade	Name of Posts	Remarks
1.	Basic grade	Basic Health worker	
2.	First ladder	Health worker	
3.	Second ladder	Senior Health worker	
4.	Third ladder	Chief Health worker	

Note-The Pay Band and Grade Pay of all aforesaid grades shall be the same as determined by the government from time to time.

By order of the Governor of Bihar,
SURESH KUMAR SHARMA,
Joint Secretary of Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 235-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>